न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 54/2020
प्रविष्टि दिनांक 23–9–2020

अली हुसैन पुत्र कमरूद्दीन आयु 35 वर्ष निवासी इस्लामपुरा थाना डिग्गी जिला–टोंक

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पेरोकार

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी वाहन नम्बर आर0जे0–11 जी बी 5779 ट्रक प्रथम सूचना सं0 169/2020 थाना बरोनी जुर्म अन्तर्गत धारा 3,5,8,9,10 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11(डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960

उपस्थिति : (1) श्री योगेश व्यास अभिभाषक प्रार्थी
(2) पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 28–10–2020

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि पुलिस थाना बरोनी ने दिनांक 17–6–2020 को वाहन नम्बर आर0जे0–11 जी बी 5779 ट्रक (कन्टेनर) में 36 अवैध गोवंश परिवहन करने पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध पाये जाने पर **वाहन** जप्त कर गोवंश को दामोदर गौशाला निवाई मे संरक्षित रखवाने हेतु सुपुर्दगी मे दिये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी ने व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र वाहन सुपुर्दगी हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव प्रकरण मे अभिभाषक प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पुलिस थाना बरोनी ने दिनाक 17–6–2020 को प्रार्थी के वाहन नम्बर आर0जे0–11 जी बी 5779 ट्रक (कन्टेनर) को जप्त किया है वाहन थाने में खुले स्थान पर खडा हुआ है जिससे वाहन के ट्यूब,टायर आदि के खराब होने व रंग रोगन व इंजन में परिवर्तन आने की पूर्ण संभावना है। वाहन के पुलिस में जप्त रहने से प्रार्थी को अपार आर्थिक क्षति हो रही है। पुलिस तफतीश पूर्ण हो चुकी है, प्रार्थी वाहन का पंजीकृत मालिक है प्रार्थी

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 11:27:25 IST
Reason: SelfAttested
Scanned by CamScanner

को उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकार प्राप्त है। अतः जप्त शुदा वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी मे दिया जावे।

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस मे कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बैलो (बछडों) को विधिवत रूप से क्रय नही कर ट्रक मे अव्यवस्थित रूप से भरकर पैरों को बॉध कर ले जाया जा रहा था। जिनमें से 2 बछड़े मृत पाये गये तथा शेष 34 बछड़ो को थानाधिकारी बरोनी द्वारा वाहन नम्बर आर0जे0–11 जी बी 5779 ट्रक (कन्टेनर) में 36 गोवंश परिवहन करने पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध पाये जाने पर जप्त किया गया है तथा प्रार्थी का वाहन पूर्व में भी एफ0आई0आर0 नम्बर 741/2020 पुलिस थाना फागी जिला–जयपुर में इसी अधिनियम के तहत जप्त हो चुका है जो जिसे प्रार्थी ने स्वंय ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

हमने बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी ने उक्त जप्त शुदा वाहन नम्बर आर0जे0–11 जी बी 5779 ट्रक (कन्टेनर) को अपनी सुपुर्दगी में लेने हेतु एक प्रार्थना पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट निवाई के यहॉ प्रस्तुत किया था जिस को न्यायिक मजिस्ट्रेट निवाई द्वारा दिनांक 3–9–2020 को खारिज कर दिया जिस पर प्रार्थी द्वारा जिला एंव सैशन न्यायाधीश टोंक के यहॉ अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूध निगरानी सं0 206/2020 पेश की जिस पर न्यायालय जिला एंव सैशन न्यायाधीश टोंक ने आदेश दिनांक 11–9–2020 को प्रार्थी की निगरानी खारिज कर दी गई है।

वाहन संख्या आर0जे0–11 जी बी 5779 ट्रक (कन्टेनर) राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम में जप्त किया गया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी ने उक्त वाहन में राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध नहीं किया हो या उसको इस अपराध की जानकारी नहीं हो। पत्रावली में संलग्न थानाधिकारी पुलिस थाना फागी ने अपने पत्र कमांक 2479 दिनांक 6–7–2020 से फर्द रसीद दी है कि मुकदमा नम्बर 71/2020 धारा 3,5,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु अधि0 व 3 य 11 पशु कूरता निवारण अधिनियम में वाहन सं0 आर0जे0–11 जे बी 5779 की मूल आर सी थाना पर शामिल पत्रावली पर जप्त है। इससे यह भी साबित होता है कि प्रार्थी ने पूर्व में भी उक्त वाहन में गोवंश का अवैध परिवहन का कृत्य किया है।

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) (संशोधन) अधिनियम 2018 (2019 का अधिनियम संख्यांक 25) की धारा 6–क. इस प्रकार हे–

धारा 6–क प्रवहण के साधन का अधिहरण–

(1) जब कभी भी इस अधिनियम के दण्डनीय अपराध किय जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहण का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा।

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 11:27:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

(2) जहां उप धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण का कोई भी साधन इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने के संबंध में अभिगृहित किया जाता है तो वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट, अभिगृहीत करने वाले व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी को अयुक्तियुक्त विलम्ब के बिना की जायेगी और ऐसे अपराध के लिये चाहे अभियोजन संस्थित किये जाये या नहीं, उस क्षेत्र पर जहां प्रवहण का उक्त साधन अधिगृहीत किया गया था, अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी यदि उसका समाधान हो जाये कि प्रवहण का उक्त साधन इस अधिनियम के अधीन अपराध करने के लिये उपयोग में लिया गया था, प्रवहण के उक्त साधन के अधिहरण कर सकेगाः

परन्तु प्रवहण के उक्त साधन के अधिहरण का आदेश करने से पूर्व प्रवहण के उक्त साधन के स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा, और यदि ऐसा स्वामी सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कोई भी कारण नही था कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किये जाने के संभावना है और उसने ऐसे किसी अपराध को किये जाने को निवारित किये जाने में सम्यक् सावधानी बरती थी तो सक्षम प्राधिकारी प्रवहण के उक्त साधन का अधिहरण नहीं करेगाः

परन्तु यह और कि जहां प्रवहण का ऐसा साधन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या उनके किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन हो, वहां प्रवहण के ऐसे साधन के अधिहरण का कोई आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जायेगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामला, प्रवहण के साधन के बारे में ऐसे आदेश करने के लिए राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जैसाकि राज्य सरकार उचित समझेः

परन्तु यह भी कि इस उप धारा के अधीन आधिहरण का आदेश करने के पूर्व,उप धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के साधन के स्वामी को अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने का विकल्प दिया जा सकेगाः

परन्तु यह भी कि प्रवहण के साधन के स्वामी को पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन विकल्प नही दिया जायेगा, यदि उसे किसी पूर्व अवसर पर उस परन्तुक के अधीन विकल्प दिया जा चुका है।

(3) जब कभी भी उप–धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के किसी साधन का इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के संबंध में अभिग्रहण किया जाता है, तब प्रवहण के ऐसे साधन के कब्जे, परिदान, व्ययन या निर्मुक्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को आदेश करने की अधिकारिता होगी, और तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, किसी न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को उक्त अधिकारिता नहीं होगी।

(4) जहां सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि लोक हित में या उसके स्वामी के फायदे के लिये यह समीचीन है दकि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने के लिए अभिगृहित, उप धारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रवहण के साधन का सार्वजनिक नीलाम से विक्रय किया जाये तो वह किसी भी समय उसका विक्रय किये जाने का निर्देश दे सकेगा।

(5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी अधिहरण आदेश, ऐसे किसी भी दण्ड के दिये जाने को निवारित नहीं करेगा जिसका, उससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायित्वधीन है"।

जिला कलेक्टर
टोंक

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) (संशोधन) अधिनियम 2018 (2019 का अधिनियम संख्यांक 25) की धारा 6–क.

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 11:27:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

सक्षम प्राधिकारी को प्रवहण के साधन का अधिहरण (confiscation) करने को अनुमत करती है।

इस सम्बन्ध में प्रार्थी को यह समाधान करना था कि उसके पास यह विश्वास करने का कोई भी कारण नही था कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उसके द्वारा ऐसा कोई तथ्य भी अंकित नही किया गया है कि प्रवहण का यह साधन वाहन नम्बर आर0जे0–11 जी बी 5779 ट्रक (कन्टेनर) उसके ज्ञान के बिना इस तरह के उपयोग में लिया जा रहा है अर्थात प्रार्थी द्वारा ऐसे अपराध को किये जाने को निवारित करने में सम्यक सावधानी भी नही बरती थी।

प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों से जाहिर है कि विचाराधीन वाहन वा.न. आर0जे0–11 जी बी 5779 ट्रक (कन्टेनर) पहले भी एफ0आर0आई0 संख्या 741/2020 अन्तर्गत धारा 3,5,8,9 राजस्थान गोवंशीय अधिनियम व 3 य 11 पशु कुरता अधिनियम में पुलिस थाना फागी जिला जयपुर में जप्त किया गया था। इससे भी जाहिर है कि पूर्व में इस तरह की जप्ती के बावजूद प्रार्थी ने सम्यक सावधानी नही बरती है। अतः वाहन को अधिहरण (confiscation) किया जा रहा है लेकिन उक्त वाहन धारा 6क(2) के परन्तुक के क्रम में अधिहरण (confiscation) में बदले विचाराधीन वाहन संख्या आर0जे0–11 जी बी 5779 ट्रक (कन्टेनर) के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना अदा करने का विकल्प प्रार्थी को प्रदान किया जाता है।

अभिभाषक प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस एवं विधिक प्रावधानों के मध्यनजर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना बरोनी द्वारा जप्त वाहन नम्बर आर0जे0–11 जी बी 5779 ट्रक (कन्टेनर) को इस शर्त पर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन के बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष में जमा करवाकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल दस्तावेज या प्रमाणित प्रतिलिपि थानाधिकारी बरोनी को प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दे दिया जावे। थानाधिकारी बरोनी को निर्णय की प्रति प्रेषित कर सुपुर्दगीनामा न्यायालय मे भिजवाने हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28–10–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 11:27:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner